

कि "हमें लोगों ने चुना है और हमें लोगों की सेवा करनी है। यदि लोगों की सेवा करने में नियम आड़े आते हैं, तो कृपया ऐसे नियमों को त्याग दीजिए। यदि आवश्यकता हो तो नियमों को बदल दीजिए लोगों की आवश्यकताओं को नहीं।" अब केन्द्र सरकार के कार्यकरण में वह भावना लुप्त है। जब केन्द्र सरकार ऐसे नियमों का उल्लेख करती है जो पर्याप्त सहायता की इजाजत नहीं देते हैं, तो क्या वह ऐसे लोगों को सहायता की मंशा से बात कर रही है जोकि प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं? अथवा नियमों के नाम पर केन्द्र सरकार जरूरतमंद लोगों को सहायता हेतु अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहती है।

सभापति महोदय : श्री वीरभद्रम, क्या आप बात समाप्त करेंगे?

श्री वीरभद्रम धाम्पीनेनी : कृपया दो मिनट और।

सभापति महोदय : कई अन्य वक्ता अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं।

श्री वीरभद्रम धाम्पीनेनी : अपनी पार्टी की ओर से मैं एकमात्र वक्ता हूँ। मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूँ। इसे स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए जिसमें राज्य को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा हो। यदि नियम आड़े आते हैं, तो ऐसे आपत्तिजनक नियमों को त्यागने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक बात जो मैं इस सम्माननीय सभा तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि वहाँ पर नियमों के बारे में हम जो भी कहते हैं, लेकिन अपने ऐसे अनपढ़, भूख से पीड़ित कृषि श्रमिकों से नियमों और विनियमों, कानूनों और अपने संविधान की बात करना कोई मायने नहीं रखता जो सारा दिन अपना जोविका कामान में लगे रहते हैं और सर्वोपरि वे लोग ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण निरंतर पीड़ित रहे हैं। यदि आप उन्हें नियमों के बारे में कहेंगे तो वे आपको नियमों को बदलने के लिए कहेंगे। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए पक्के घरों का निर्माण, न्यूनतम साँझा कार्यक्रम का एक विषय है। यदि तूफान के कारण 6.47 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं और वे घरों के निर्माण का आग्रह करते हैं तथा जब न्यूनतम साँझा कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए घरों के निर्माण की बात करता है तो हम उनके घरों के पुनर्निर्माण में नियमों का उल्लेख करके अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा चुपचाप नहीं रह सकते हैं। आखिरकार, किस नियम के अंतर्गत हमने अपने न्यूनतम साँझा कार्यक्रम में कैसे शामिल किया था? अतः अब ऐसे नियमों में संशोधन करने का समय आ गया है। हमें ऐसे लोगों की सहायता करना चाहिए जो कष्टदायी स्थिति में हैं। इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो हमें नियमों को भी समाप्त कर देना चाहिए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व बैंक भी हमारी मदद करने का इच्छुक है। केन्द्र सरकार के

सक्रिय सहयोग के बिना विश्व बैंक से कोई भी सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सभा में राज्य के नुकसान, राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए वांछित सहायता तथा इस वृहत कार्य में राज्य सरकार को देने वाली सहायता की सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ घोषणा करें। इसके अलावा, केन्द्र सरकार विश्व बैंक जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता के लिए भी मदद करें। उसे नारियल विकास बोर्ड जैसे विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों में भी तालमेल करवाना चाहिए। नारियल विकास बोर्ड पौध और अन्य वस्तुएं निशुल्क दे सकता है जिससे बागवानी कृषकों को सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अन्य एजेंसियों से भी सहायता ली जा सकती है। चूंकि यह राष्ट्रीय आपदा है तथा यदि हमें नियम एक सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं देते हैं तो उन हालातों में माननीय प्रधानमंत्री का राज्यों को राजी करने के लिए कदम उठाने की शुरुआत करना चाहिए तथा अपने स्वयं के प्रभाव से तथा सरकार के प्रभाव से गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों से राज्य की सहायता हेतु तथा इसके लोगों को विद्यमान संकट पर काबू पाने के लिए वांछित सहायता के स्तर को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपराह्न 4.00 बजे राज्य सभा जाना है। अतः वे इस समय हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकूरनूल) : महोदय, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी के लिए राज्य सभा के सदस्यों की बात भी सुनना उतना ही जरूरी है। वे पिछले 45 मिनट से यहाँ पर हैं। अपराह्न चार बजे उन्हें राज्य सभा जाना है अतः वे हस्तक्षेप करना चाहते हैं... (व्यवधान) अब हमारे पास लगभग एक घण्टे का समय बचा हुआ है और मैं हर एक सदस्य को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, मैं आपको अनुमति से केवल एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जहाँ तक इस विशेष मुद्दे के जवाब का संबंध है, मैं स्वयं इसका जवाब दूंगा। माननीय कृषि मंत्री पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं और यदि वह इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे, तो उनको इसकी छूट है। लेकिन हमने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है, इन सब बातों का जवाब वाद-विवाद समाप्त होने के बाद मैं स्वयं दूंगा।

मैं केवल इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम हाल ही में आए तूफान से हुई क्षति के परिमाण का अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ विवाद है परन्तु मैं इस विवाद का अंग नहीं बनना चाहता। इस सन्दर्भ में कई शिष्ट मण्डलों ने मुझसे भेंट

की है। मैंने स्वयं हवाई सर्वेक्षण किया है और मैं इसी समय सभी बातों का विवरण नहीं देना चाहता। उत्तर के दौरान सम्पूर्ण स्थिति के बारे में अपने मूल्यांकन को रखूंगा।

एक शिष्टमण्डल ने मुझे बताया है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपयों की क्षति हुई है, सरकार ने एक जापन प्रस्तुत किया है जिसमें 6000 करोड़ रुपये के लगभग की क्षति दर्शायी गई है। एक अन्य शिष्ट मण्डल ने मुझे बताया है कि क्षति लगभग 8500 करोड़ रुपयों की है। अतः अपना राय के अनुसार उन्होंने क्षति को 15,000 करोड़ रुपये अथवा 8000 करोड़ रुपये आंका होगा। सरकार ने अपना राय के अनुसार क्षति को लगभग 6,000 करोड़ रुपये बताया है। मैंने एक शिष्ट मण्डल से केवल इतना ही कहा कि सरकारी दल भी वहां जा रहा है। वहां से लौटकर यह दल अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद, क्षति के परिमाण के बारे में मैं अपने ठीक-ठीक विचार रख सकूंगा।

कृपया, ये बात ध्यान में रखिए कि इस संबंध में हर एक के अपने विचार हैं। मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां पचास लाख नारियल के पेड़ गिर गए हैं। एक अनुमान के अनुसार दोनों जिलों के साठ लाख नारियल के पेड़ हैं और इनमें से सभी पेड़ गिर गए हैं। मैं हर एक बगीचे में नहीं गया...(व्यवधान)

(तभी डा. एम. जगन्नाथ कुछ कहने के लिए उठे)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री जगन्नाथ जी, कृपया एक मिनट ठहरिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं। मैंने केवल इतना ही कहा है कि हर एक दल ने क्षति के बारे में अपना-अपना मूल्यांकन लगाया है। एक दल ने इसका 15,000 करोड़ रु. का मूल्यांकन किया है। वह दल वहां गया और एक बयान जारी किया कि प्रधान मंत्री को आंध्र प्रदेश में हुई क्षति की कोई फिक्र नहीं है। एक दूसरा दल मेरे पास आया था। सभी यही कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कहना एक अलग बात है और करना दूसरी बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सरकार को उतनी ही चिन्ता होनी चाहिए। जहां तक वास्तविक क्षति का सम्बन्ध है, जब तक सरकारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं सकता। मैं शाम को चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूँ और तब मैं सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के बारे में बताऊंगा...(व्यवधान)

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था (अनन्तपुर) : केन्द्र और राज्य सरकार के बीच तकरार चल रही है। राज्य-सरकार केन्द्र सरकार पर दोष लगा रही है और केन्द्र सरकार जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रही है...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : जो नहीं, मैं वह कहने नहीं जा रहा। मैंने 'दल' कहा है। तीन दल मेरे पास आए हैं। एक टीम ने 15,000 करोड़ रुपए की बात की है, दूसरी टीम ने 8,500 करोड़ रुपए की बात की है और सरकार की रिपोर्ट 6,000 करोड़ रुपए की है। अतः मुझे सरकारी दल पर निर्भर होना पड़ा। सरकारी दल पूरे प्रभावित क्षेत्र का

दौरा करने जा रही है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आपको प्रतीक्षा करनी होगी...(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : राजनीतिक दलों ने आप पर आरोप लगाया है कि आपको तूफान से प्रभावित लोगों को कोई चिन्ता नहीं है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जिन्होंने केन्द्र पर अड़ियल और असहयोगी रवैयें का आरोप लगाया है...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री उपेन्द्र जी, मैं सब समझता हूँ कि राजनीति कौन कर रहे हैं। कृपया मामले को और आगे मत बढ़ाइए।

मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जिसने 15,000 करोड़ रु. का बात कहा है। मैंने उसका नाम नहीं लिया जिसने 8,500 करोड़ रु. का बात कहा है। मैंने केवल 'शिष्टमण्डल' की बात कहा है। मैंने "कांग्रेस, तेलुगु देशम अथवा दूसरी तेलुगु देशम" का नाम नहीं लिया है। मैं किसी पार्टी अथवा पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने केवल यह कहा है कि टीमों अथवा शिष्टमण्डल मूझस मिलें और वही बात कही जो उन्होंने अपने-अपने जापनों में कही है। मैं तो केवल बातों को उन सदन की जानकारी में लाया हूँ।

डा. एम. जगन्नाथ : सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समुद्री तूफान को भयंकर चक्रवात कहना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार जब हवाएं 220 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हों तो उन्हें चक्रवात मानना होगा।

मैं सभी राजनैतिक दलों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दलगत भावनाओं से उठकर हमारी मदद की। मैं आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए धन का आबंटन करने में उदारता का परिचय देगी।

समुद्री तूफान आंध्र प्रदेश जिसका समुद्र तटीय क्षेत्र 1,000 किमी. है, को एक विशेषता है। अभी विनाशकारी समुद्री तूफान ने मुश्किल से एक पखवाड़े पहले आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले के तटीय पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी के क्षेत्रों को तहस-नहस किया था और अब राज्य प्रशासन तूफान से हुई भीषण तबाही के उस वृहत आयाम पर अपना शिकंजा कसने के लिए भरसक कोशिशें कर रहा है जो किसी भी मायने में मुश्किल से तुलनीय है। जहां तक उसको विशेषताओं जैसे हवा का वेग और घातक क्षमता का संबंध है, 1977 के भयावह प्रकरण के बाद 6 नवम्बर का प्राकृतिक प्रकोप ही याद आता है। हालांकि मरने वालों की संख्या सरकारी तौर पर 900 बताई जाती है लेकिन हकीकत यह है कि इसमें हजार से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त ऐसे 2,000 मछुआरों के भी मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई थी जिन्हें समुद्री तूफान की ज्वारीय जल तरंगें बंगाल की घाटी में बहा ले गई थीं।